

Filed 18007 dt 13/03/2015 R.N.M. 24/11/2007 ch 12/03/14

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 1325/2011

आवेदन सं० 9007

चूंकि श्री Ram nandan Prasad ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के निबंधित सव्यवहारों और अभवारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अभवारों के बारे में यही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1995/05/10-2012 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अभवारों का पता चला है -


| क्रम संख्या | (क) संपत्ति का विवरण | निश्पादन की तारीख | (ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य | पक्षों का नाम | | दस्तावेज की प्रवर्षित के प्रति निदेश | | |
|-------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|------|-------------|
| | | | | निश्पादन | दावेदार | जिल्द सं. | वर्ष | पृष्ठ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Mauza Purnu PSM 250 PS Dhurua Khr 05 Plot N 762, 765 C/O 33-88 Dec Dist: Ranchi | | | | | | DM | 297 2023 |

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

1. बंधक - पत्र की दशा में लाभ की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।


अन्य संब्यवहार और अवभारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया -

हस्ताक्षर :- 

(पदनाम) :-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की


हस्ताक्षर :- 

(पदनाम) :-

कार्यालय :- **D.S.R OFFICE, RANCHI**

तारीख : 13/03/24



 निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
13/03/24

टिप्पणी: इस प्रमाण में जो संब्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संब्यवहार (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।


(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा ढूँढे गये संब्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ना ढूँढे गये ऐसे संब्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Memo No. : 470/11/3k3h4 Ram. handan Prasad का सत्यापन अवभार

प्रमाण पत्र SBI Ranchi की प्रेषित

 निबंधन पदाधिकारी
13/03/24